मानव संसाधन विकास विभाग
(शोध एवं प्रशिक्षण)

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) तथा पी.टी.इ.सी. प्राथमिक शिक्षा महाविद्यालय में दो वर्षीय पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण (डिप्लोमा इन एजुकेशन) कोर्स में प्रशिक्षुओं के नामांकन हेतु

मार्गदर्शिका

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के प्रावधानों के अनुसार प्रारंभिक विद्यालयों के शिक्षकों की न्यूनतम शैक्षिक एवं प्रशैक्षिणक अर्हता इंटर/+2 तथा दो वर्षीय प्रशिक्षण निर्धारित है। राज्य सरकार ने विद्यालयों में शिक्षा के सुदृढ़ीकरण हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों के नियोजन के उद्देश्य से राज्य के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) तथा प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (पी.टी.ई.सी.), जिन्हें NCTE (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिशद) से मान्यता प्राप्त है, में दो वर्षीय पूर्व सेवाकालीन प्रशिक्षण (डिप्लोमा इन एजुकेशन) प्रारंभ करने तथा इन महाविद्यालयों में प्रशिक्षुओं के नामांकन एवं महाविद्यालय के संरचना के विकास हेतु निम्नांकित शर्त्तें निर्धारित की है :

1. नामांकन हेतु संबंधित प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर एक माह का समय देते हुए इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त किया जायेगा।
2. नामांकन हेतु सामान्य अभ्यर्थियों की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता इंटर/+2 में 50% अंकों की होगी तथा आरक्षित कोटि/निःशक्त के लिए 5% की छूट होगी।
3. प्रतिदिन प्राप्त आवेदन पत्रों को इस कार्य के लिए निर्धारित एक पंजी में संधारित किया जायेगा तथा आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि को प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षर कर उसे बंद कर दिया जायेगा तथा उसे अधिकतम तीन दिनों के अंदर संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रतिहस्ताक्षरित करा लिया जायेगा।
4. संबंधित प्रशिक्षण संस्थान में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृत सीट के लिए आवेदन प्राप्त किया जायेगा।

5. नामांकन में राज्य के आरक्षण नियम का पालन किया जायेगा तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के वर्त्तमान में प्रभावी नियम/परिनियम आदि का पालन आवश्यक होगा।

6. NCTE (राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्) द्वारा स्वीकृत कुल सीट का 3% (तीन प्रतिशत) निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। स्वीकृत सीट का 10% (दस प्रतिशत) उर्दू विषय के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा। निःशक्त एवं उर्दू अभ्यर्थियों के लिए क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण लागू होगा।

7. बचे हुए सीट का 50% विज्ञान तथा 50% कला/वाणिज्य विषय के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगा।

8. नामांकन हेतु प्राप्त आवेदनों में से योग्य अभ्यर्थियों के चयन का कार्य निम्न सदस्यों की एक समिति द्वारा की जायेगी :–

(क) जिला शिक्षा पदाधिकारी – **अध्यक्ष**।

(ख) संबंधित प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय के प्राचार्य – **सदस्य सचिव**।

(ग) संबंधित प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय के वरीय व्याख्याता – **सदस्य**।

(घ) जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अनुसूचित जाति/जनजाति के एक पदाधिकारी – **सदस्य**।

(ङ) राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद् के संकाय सदस्य अथवा निकटवर्त्ती प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय के प्राचार्य अथवा उनके प्रतिनिधि **सदस्य**।

(उपर्युक्त (ङ) के संबंध में निर्णय, शोध एवं प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा संसूचित किया जायेगा।)

9. चयन का आधार :

नामांकन हेतु चयन का आधार दसवीं एवं बारहवीं कक्षा में प्राप्त प्राप्ताकों का प्रतिशत होगा। दोनों कक्षाओं में प्राप्त प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत निकालते हुए नामांकन हेतु मेधा सूची का निर्माण कोटिवार किया जायेगा। प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत समान रहने पर अधिक योग्यताधारी अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी। प्राप्तांकों के प्रतिशत का औसत एवं योग्यता समान रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।

10. उम्र सीमा :

नामांकन हेतु उस वर्ष की पहली जनवरी को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु 34 वर्ष होगी। अधिकतम उम्र सीमा में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं निःशक्त अभ्यर्थी को पाँच वर्ष, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए दो वर्ष तथा महिला अभ्यर्थी (अनु0 जाति/जनजाति को छोड़कर) के लिए अधिकतम तीन वर्ष की छूट दी जायेगी।

11. संयुक्त मेधा सूची कोटिवार अलग–अलग तैयार किया जायेगा तथा उसे संबंधित प्रशिक्षण संस्थान/महाविद्यालय तथा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रकाशित किया जायेगा।

12. मेधा सूची से नामांकन हेतु सूचना सम्बद्ध महाविद्यालय के सूचनापट्ट पर प्रकाशित किया जायेगा तथा नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थी को निबंधित डाक से भी सूचना भेजी जायेगी और नामांकन के लिए अधिकतम 15 दिन का समय दिया जायेगा। 15 दिनों की अवधि बीत जाने के बाद मेधा सूची के बचे हुए अभ्यर्थियों से आरक्षण कोटिवार नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।

13. नामांकन हेतु प्रति अभ्यर्थी प्रति वर्ष रु0 6,000/–(छह हजार रुपये) की राशि शुल्क के रुप में ली जायेगी। अनुसूचित जाति/जनजाति/निःशक्त के लिए यह राशि रु0 3,000/–(तीन हजार रुपये) होगी। यह राशि शिक्षार्थियों के मासिक भोजन एवं आवास शुल्क को छोड़कर है। राशि का विवरण निम्नवत् हैं :–

क्रम	मद	सामान्य जाति	अनु0 जाति/जनजाति
1.	भवन रख–रखाव	3000/–	1400/–
2.	बिजली पेयजल	200/–	100/–
3.	रसोई रख–रखाव	200/–	100/–
4.	छात्रावास व्यवस्था	200/–	100/–
5.	खेलकूद	200/–	100/–
6.	पुस्तकालय	200/–	100/–
7.	शैक्षिक भ्रमण	200/–	100/–
8.	परिचय पत्र एवं पुस्तकालय कार्ड	100/–	100/–
9.	कॉशन मनी	1000/–	500/–
10.	प्रयोगशाला	200/–	100/–
11.	कम्प्यूटर	300/–	150/–
12.	आंतरिक मूल्यांकन	200/–	150/–
		6,000/–	**3,000/–**

नोट : कॉशन मनी की राशि दोनो वर्ष के लिए प्रवेश के समय ही ली जायेगी जो महाविद्यालय छोड़ने के समय अभ्यर्थी को वापस की जायेगी।

14. छात्रों से प्राप्त शुल्क एवं महाविद्यालय की आय से प्राप्त राशि महाविद्यालय के खाता में जमा की जायेगी एवं उसका उपयोग महाविद्यालय के विकास में किया जायेगा।

15. महाविद्यालय के विभिन्न गतिविधियों के निष्पादन हेतु एक केन्द्रीय समिति गठित की जायेगी, जिसमें प्राचार्य के अतिरिक्त छात्रावास प्रभारी, पुस्तकालय प्रभारी, भवन एवं रखरखाव प्रभारी, प्रयोगशाला प्रभारी एवं एक छात्र प्रतिनिधि रहेंगे।

16. भवन के रखरखाव हेतु गठित समिति में प्राचार्य के अतिरिक्त भवन रखरखाव प्रभारी, छात्रावास प्रभारी एवं छात्र प्रतिनिधि रहेंगे जो रु0 50,000/– (पचास हजार रुपये) से कम की राशि का उपयोग भवन एवं छात्रावास मरम्मति हेतु अपने स्तर से करेंगे परन्तु महाविद्यालय भवन/छात्रावास मरम्मति का प्राक्कलन भवन निर्माण विभाग के सहायक अभियंता से भी बनवाकर ही व्यय किया जायेगा।

- प्राचार्य सभी सदस्यों के साथ समिति की बैठक कर किये जाने वाले कार्यों पर निर्णय लेंगे तथा बैठक की कार्यवाही संधारित की जायेगी।
- मदवार व्यय किये गये राशि की प्रविष्टि एक पंजी संधारित की जायेगी जिस पर समिति के सभी सदस्यों का हस्ताक्षर रहेगा।
- भवन मरम्मति में रु0 50,000/ (पचास हजार रुपये) से अधिक की राशि व्यय होने की स्थिति में जिला में पदस्थापित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग से प्राक्कलन बनवाकर क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक से अनुमति प्राप्त कर उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार खर्च कर सकेंगे।

17. भौतिक संरचना यथा कुर्सी, टेबुल, दरी, इत्यादि, पुस्तकालयों के लिए पुस्तक एवं प्रयोगशाला के लिए सामग्री की व्यवस्था हेतु उपर्युक्त समिति रु0 25,000/– (पच्चीस हजार रुपये) से कम की राशि का व्यय अपने स्तर से करेगी तथा इससे अधिक की राशि के लिए क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक से अनुमति प्राप्त कर सकेगी।

18. महाविद्यालय के खाता का संचालन प्राचार्या एवं वरीय व्याख्याता के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा तथा प्रतिवर्ष होने वाली आय एवं व्यय की सूचना निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण को उपलब्ध करायी जायेगी।

19. छात्रों के नामांकन के पश्चात् उनके अंक पत्र एवं शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जायेगा। अंक पत्र/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने की स्थिति में नामांकन रद्द करते हुए उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

20. दो वर्ष का प्रशिक्षण समाप्त हो जाने के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा परीक्षा का आयोजन किया जायेगा तथा प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।